राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या –1816/2013/बीकानेर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, वृत–ए, बीकानेर .....**अपीलार्थी.**

बनाम्

मैसर्स एकमें ऑनलाईन ट्रेड लिंक प्रा. लि., खाजूवाला, बीकानेर .....**प्रत्यर्थी.**

एकलपीठ
राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा
उप–राजकीय अभिभाषक। .....**अपीलार्थी की ओर से.**

श्री वी.के. पारीक एवं श्री श्याम पारीक
अभिभाषक। .....**प्रत्यर्थी की ओर से.**

दिनांक : 26.09.2016

निर्णय

1. उक्त अपील राजस्व की ओर से उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा गया है) के अपील सं. 203/आरवेट/श्रीगंगानगर/2012–13 में पारित किये गये आदेश दिनांक 21.06.2013 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 23 के तहत् प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2009–10 को तिमाही रिटर्न (प्रथम, द्वितीय, तृतीय) समय पर प्रस्तुत नहीं करने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 58 के तहत् शास्ति रूपये 15,000/– एवं धारा 55 के तहत् 418/– रूपये ब्याज तथा कुल मांग राशि कुल 15,418/–रूपये आरोपित की। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 24.02.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 21.06.2013 द्वारा अपील स्वीकार की गई है। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी की ओर से राजस्व के उप राजकीय अभिभाषक द्वारा यह कथन प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा वर्ष 2009–10 का प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय त्रिमाही विक्रय प्रपत्र एवं वेट 10 दिनांक 31.08.2010 को पेश किया गया जो कि विलम्ब से प्रस्तुत किया गया था। जिसके लिये प्रत्यर्थी व्यवहारी को कारण बताओं नोटिस भी तामिल किया गया था। इसके बावजूद सम्मन तामिल कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा त्रिमाही प्रपत्र वेट 10 देरी से प्रस्तुत करने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा

लगातार.....2

26/09/16

58 के तहत् शास्ति एवं धारा 55 के तहत् ब्याज आरोपित किये, जो कि विधिक सम्मत है। अतः राजस्व के उप राजकीय अभिभाषक द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 21.06.2013 का समर्थन करते हुए प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक यह तर्क रहा है कि उक्त प्रकरण कर निर्धारण वर्ष 2009–10 का है। जिसके संबंध में वार्षिक आम बजट में यह दिनांक 09.03.2011 को यह घोषणा की गई थी कि जिन व्यवहारियों ने कर निर्धारण वर्ष 2009–10 के समस्त रिटर्न एवं देय कर दिनांक 31.03.2011 तक जमा कर दिया है, उन पर आरोपित शास्ति एवं ब्याज माफ कर दिया जायेगा तथा इस अवधि के बाद में अधिसूचना दिनांक 30.03.2011 द्वारा वर्ष 2009–10 के समस्त रिटर्न जमा करने की अवधि दिनांक 30.09.2011 तक बढ़ा दी गई।

5. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह कथन रहा है कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 24.02.2012 के माध्यम से प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा वर्ष 2009–10 का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय त्रिमाही विवरण प्रपत्र वेट 10 जो दिनांक 31.08.2010 को पेश किये गये थे उनको विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना मानकर धारा 58 के अधीन 15000/– रूप्ये शास्ति एवं धारा 55 के अधीन 418/– रूप्ये ब्याज अधिरोपित किया गया था। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2009–10 का समस्त तिमाही रिटर्न वेट 10 दिनांक 30.08.2010 को जमा करा दिये गये थे। जबकि अधिसूचना दिनांक 30.03.2011 के अनुसार उक्त आलौच्य अवधि के विवरणियों को जमा कराने की अन्तिम तिथि दिनांक 30.09.2011 तक बढ़ा दी गई थी। अतः प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से आलौच्य अवधि की विवरण प्रपत्र समयावधि में ही प्रस्तुत कर दिया गये थे। इस प्रकार प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने उक्त तर्कों के आधार पर राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

6. उभयपक्षों की बहस सुनी गई एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश दिनांक 24.02.2012 में प्रत्यर्थी व्यवहारी के कर निर्धारण वर्ष 2009–10 की तिमाही रिटर्न (प्रथम, द्वितीय, तृतीय) समय पर प्रस्तुत नहीं करने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 58 के तहत् शास्ति रूपये 15,000/– एवं धारा 55 के तहत् 418/– रूपये ब्याज तथा कुल मांग राशि कुल 15,418/–रूपये आरोपित की। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है राज्य सरकार द्वारा दिनांक 30.03.2011 को अधिसूचना जारी की गई जो निम्न प्रकार है:–

26/09/16

लगातार.....3

S.No. 2766[no.F.12(25)FD/Tax/11-169]Dated: 30-03-2011

In exercise of powers conferred by section 51A of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the state Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby waives the amount of penalty and interest payable, for the year 2009-10, by the dealers who have filed all returns and have deposited all due tax relating to the year 2009-10 up to 1 [30.09.2011]

1. Substituted for "31-03-2011" by (S.No. 2773) dated 01-04-2011 and further subs for "13-04-2011" by (S.No. 2781) dated 15-04-2011 .

इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा दिनांक 30.03.2011 को यह अधिसूचना जारी की गई कि वर्ष 2009–10 के विवरण प्रपत्र एवं समस्त बकाया कर दिनांक 30.09.2011 तक जमा कराने पर व्यवहारी द्वारा अदा किये जाने वाली शास्ति एवं ब्याज माफ (*waive*) किया जाता है।

7. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 24.02.2012 में प्रत्यर्थी व्यवहारी के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रपत्र दिनांक 31.08.2010 को पेश किये जाने को विलम्ब से पेश किया जाना माना है। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई कर बकाया नहीं पाया है केवल आलोच्य अवधि के प्रथम तीन त्रैमास के विवरण प्रपत्र को विलम्ब से जमा होना माना है। इस प्रकार आलौच्य अवधि का जब कोई कर बकाया नहीं है तथा प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आलौच्य अवधि के त्रैमासिक विवरण प्रपत्र दिनांक 31.08.2011 को जमा करा दिये थे तब ऊपर वर्णित अधिसूचना दिनांक 30.03.2011 के अनुसार समयावधि में ही जमा करा दिये गये माने जायेगें। अतः प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि कर निर्धारण वर्ष 2009–10 के त्रैमासिक विवरण प्रपत्र VAT 10 निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत कर दिये गये थे। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उनको विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना मानने में विधिक त्रुटिकारित की है।

8. अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 24.02.2011 को अपास्त किये जाने में कोई विधिक त्रुटिकारित नहीं की है। अतः अपीलार्थी राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 21.06.2013 की पुष्टि की जाती है।

9. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

10. निर्णय सुनाया गया।

26/09/16

(राजीव चौधरी)

सदस्य